

निर्णय - 13.05.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)


2024/83 (1)

22.6.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
सीताराम बनाम नानकराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 16/ वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.04.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 30.04.2024 को पेश हो।	
20.04.2024	<p>वकील वादी द्वारा पत्रावली पेश की गई।</p> <p>पत्रावली पेश की गई।</p> <p>गस्त 20.04.2024 को पेश हो।</p>	
9.5.2024	<p>वकील वादी ने पत्रावली - फा. विरान पेश की पेश करने पर प्रजावली को पेश किया गया।</p> <p>वकील वादी फरिडेन उपस्थित वकील प्रजावली को</p> <p>। करने हेतु अदालत अफसर राजीनामा पेश किया जिसे काउंटर सीट शामिल करके किया गया। स्टेट जज प्रजावली उक्त प्रजावली जाते रहने आदि का लकीफ 13.5.2024 को पेश हो।</p>	<p>राजाराम</p> <p>1 by me</p> <p>Ashok</p> <p>राजाराम</p> <p>राजाराम</p>
13.5.2024	<p>वकील वादी फरिडेन उपस्थित रहने सुनी गयी प्रजावली का अदालत किया गया प्रजावली पर उपस्थित अदालत व वादी प्रजावली के राजीनामा के आधार पर वाद जीती किया जाता है पूर्ण विवाह सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल करके किया जाये प्रजावली नम्बर के अदालत काउंटर लकीफ शामिल जाते दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>1 by me</p> <p>Subh</p> 

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 161/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

सीता राम पुत्र नानक राम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मौर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
-वादी

बनाम

1. नानकराम पुत्र धनपत राम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मौर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजपाल पुत्र नानक राम जाति जाट निवासी मिर्जावाली मौर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अशोक कुमार भादू वकील-वादी

श्री शुभम भादू प्रतिवादी सं. 1 व 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 13-05-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी सीताराम को चक 6 बी.पी.एम. के प0नं0 204/396 मु0नं0 6 के किला नं0 1/2 की 0.2280है0, 2, 3, 8, 9 की 1.0120है0, 10/2 की 0.2280है0, 12, 13, 18, 19, 22, 23 की 1.5180है0 कुल 2.9860है0 कमाण्ड व प0नं0 204/397 मु0नं0 15 के किला नं0 15, 16, 25 की 0.7590है0 कमाण्ड कुल तादादी 3.7450है0कमाण्ड भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजपाल को चक 6 बी.पी.एम. के प0नं0 203/397 मु0नं0 14 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.2890है0 कमाण्ड भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।
3. प्रतिवादी संख्या 1 नानकराम के नाम तहसील टिब्बी के चक 6 बी.आर.एन. के खाता संख्या नया 50 पुराना 44 के प0नं0 206/386 मु0नं0 29 के किला नं0 6/1 की 0.1260है0, 7/1 की 0.1260है0, 8, 9 की 0.5060है0, 10/2 की 0.2280है0, 11/2 की 0.2280है0, 12, 13 की 0.5060है0, प0नं0 207/386 मु0नं0 28 के किला नं0 10/1 की 0.0130है0, 11/1 की 0.0250है0, 16 ता 20 की 1.5180है0, 24, 25 की 0.5060है0, प0नं0 207/387 मु0नं0 35 के किला नं0 13 की 0.2530है0 कुल तादादी 3.7820 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13-05-2024 को जारी की गई।

017
(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर